

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
अकाल एकेडमी सन्तागढ भीरा
विझेन-बिजुआ।

पत्रांक: मान्यता / ५८३ / 2020-21 दिनांक: २१-५-२०२०

विषय: प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत कक्षा 1 से 5 तक की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं0-89 / अरसठ-2018-2041 / 2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में वर्णित प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति जनपद स्तर पर प्राविधानिक जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-5-2020 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में क्रम संख्या-04 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा-1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019 में निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधिकों को दृष्टिगत रखते हुये औपचार्यित अस्थायी मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिये निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है। तदोपरान्त एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0इ0 के अनुसार विद्यालय बलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी। उल्लिखित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है—

- 1-विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एकट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 2-विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोशिएशन के लाभ पहुंचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- 3-विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्ययन के लिए विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।
- 4-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस0सी0इ0आर0टी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।
- 5-विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित दी जायेगी।
- 6-भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म व सर्वधर्म समझाव, तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए प्राविधानित नितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों तथा विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 7-विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उददेश्यों के लिए दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छुट रहेंगी। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक या गैर शैक्षिक कियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।
- 8-विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाले संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुरक्षा रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन का रंग-रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
- 9-विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में जनपदीय/मण्डलीय/राज्यस्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनाएं एवं आख्या मांगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 10-विद्यालय प्रबन्ध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश लिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में निहित प्राविधिकों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- 11-शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा तथा अंकों के अन्तराष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- 12-कक्षा 1 से 5 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित नहीं की जायेगी। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 13-विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानवित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधानित सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।


Balli Singh
Manager
Akai Academy Santgarh
Bhira (Kheri)


Headmasters
K.B.C.
Akai Academy Santgarh

14-विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधतन्त्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण पूर्ण मजबूतीधूप एवं ठण्ड से बचाव की प्रयाप्त व्यवस्था तथा कक्ष-कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिल्लांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँचन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रामय-समैय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पुर्णतः अनुयालन किया जायेगा।

15-विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाप को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

16-विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में प्रति क्षात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु कक्ष कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही क्षात्र/छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेल-कूद के लिए पर्याप्त किडा रथल उपलब्ध होना चाहिए।

17-शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, क्षात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं व्यवस्था होना अनिवार्य है।

18-कक्ष स्तर के अनुरूप छात्रोंपायोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें खेलकूद का सामान मानदित्र शैक्षिक चार्ट विज्ञान सामग्री भौगोलिक नवशो ग्लोब विषय से सम्बन्धित चार्ट सामान्यज्ञान शिक्षाप्रद पुस्तके तथा पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।

19-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र० वेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र० मान्यता प्राप्त वेसिक स्कूल (ज०प्र०) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियमावली-1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबंधतन्त्र द्वारा निजी स्रोतों से किया जायेगा।

20-जियोशियोगी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्ष अथवा अनुभाग न खोला जायेगा न ही, बन्द किया जायेगा, न समाप्त माना जायेगा। विद्यालय स्वचित पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।

21-विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा। जो स्टाफ के वेतन अनुक्रमण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के प्रयाप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। अधिक नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई भी शुल्क विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

22-शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 में दिए गये समर्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

(बुद्ध प्रिय सिंह)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

प०प्र० व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1-शिक्षा निदेशक (वेसिक) उ0प्र० लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

3-सचिव, उ0प्र० वेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

4-अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र० प्रयागराज।

5-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) घट मण्डल, लखनऊ।

6-जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर-खीरी।

7-खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।

Ballin Singh
Manager
Akash Academy Santgarh
Bhira (Kheri)

Headmasters
(KBC)
Akash Academy Santgarh
29/06/24

(Signature)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

प्रेषक,
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर-खीरी।

सेवा में,
प्रबन्धक,
अकाल एकेडमी संतागढ भीरा
विद्यालय बिजआ।

पत्रांक: मान्यता / 2926-33 / 2020-21 दिनांक: 30-07-2020
 विषय: उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्ष 6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम) की नवीन अस्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय

महोदय, उपर्युक्त विषयक आप हारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत कक्षा 6 से 8 तक की अंग्रेजी माध्यम नवीन अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन के प्रति शासनादेश सं0-89/अरसठ-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019, शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 प्रति शासनादेश सं0-89/अरसठ-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019, शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020, शासनादेश संख्या-540/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 02.07.2020 मे वर्गीत उच्च प्राथमिक स्तर के दिनांक 29 जून, 2020, शासनादेश संख्या-540/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 02.07.2020 मे वर्गीत उच्च प्राथमिक स्तर के अशासकीय विद्यालयो की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानको के प्रति मण्डल स्तर पर प्राविधानिक गण्डलीय मान्यता समिति की बैठक अशासकीय विद्यालयो की नवीन मान्यता हेतु निर्धारित मानको के प्रति मण्डल स्तर पर प्राविधानिक गण्डलीय मान्यता समिति की बैठक 20.07.2020 मे लिये गये निर्णय के अनुपालन मे कम संख्या-04 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 20.07.2020 मे लिये गये निर्णय के अनुपालन मे कम संख्या-04 पर अंकित उक्त विद्यालय को कक्षा-6 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता शासनादेश दिनांक 11.01.2019, 29.06.2020 02.07.2020 मे निहित निर्धारित प्रारूप पर नियमावली मे उल्लिखित प्राविधानो को दृष्टिगत रखते हुये औपचारित अस्थायी मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिये निम्न प्रतिबंधो के अधीन प्रदान की जाती है। तदोपरान्त एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण एवं आर0टी0इ0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जाएगी। उल्लिखित प्रतिबंधो का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

उपरोक्त मंजुरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है—
उपरोक्त मंजुरी अवृत्त-स्थापना का उत्तिष्ठेशन एकट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित समय पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

1-विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार प्राप्त है।

2-विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसाइशन के लाने पड़ुवाने के लिए समर्पित है।
 3-विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से किये जाने हेतु प्रबन्धिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन विद्यालय में उपलब्ध कराये जायेगे तथा जिन विषयों में अध्ययन के लिए विद्यालय को मान्यता प्रदान की जा रही है उनके लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त संविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था की जाएगी। 4-बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। छात्र-छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर

५- विद्यालय में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

६—भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म व सर्वधर्म सम्भाव, तथा मानवादी मूल्यों का सम्प्राप्ति के लिए आवश्यक होगा।

6-मारता के सापेक्षानि प्रयोग करने वाले संस्था / निकाय का प्रतीक
नितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों तथा विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करना आनंदाय होगा।
7-विद्यालय भवन/परिसर को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उददेश्यों के लिए दिन व रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्रियों के आवास हेतु छुट रहेंगी। विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक कियाकलापों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा।

८—विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाल संस्था / नियाय का प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन का रंग—रोगन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

9-विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। खण्ड शब्दों अधिकारी एवं उस उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। वैसिक शिक्षा उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विद्यालय से सूचनाएँ एवं आख्या मांगे जाने पर विभाग में जनपदीय/मण्डलीय/राज्यस्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय से सूचनाएँ एवं आख्या मांगे जाने पर विभाग द्वारा उस दिन गये सिर्फेंशो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा दिये गये निरदेशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 10-विद्यालय प्रबंध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-12 (1)(सी) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विविध विभागों का पार्श्व प्राप्त किया जायेगा।

निहित प्राविधिकों का पूरण: पालन किया जायेगा। 11-शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी रखा जायेगा तथा अंकों के अन्तरास्त्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा।

जायेगा। 12-कक्ष 06 से 08 के अतिरिक्त अन्य अमान्य कक्षाएं संचालित नहीं की जायेगी। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

जाना आनंदाय होगा।
 13—विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकता अनुसार उपयुक्त निजी भवन होना एवं विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना आनंदाय होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधिक तरीके से भवन सुरक्षा उपायों/मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय भवन के लिये सहायक अभियन्ता द्वारा निर्गत भवन सुरक्षा प्रमाण—पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Ballis Singh
Manager
Akai Academy Santgarh
Bhira (Kheri)


Headmasters

Akal Academy Santgarh

14—विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख—रखाव का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधतन्त्र का होगा। विद्यालय भवन की छत एवं दिवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूतीधूप एवं टण्ड से बचाव की प्रयाप्त व्यवस्था तथा कक्षा—कक्षों का हवादार एवं रोशनीयुक्त होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

15—विद्यालय में अग्निशमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा, अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण स्टाफ को प्रत्येक वर्ष कराया जाना तथा ज्वलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर समुचित सुरक्षायुक्त कक्ष में रखने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

16—विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में प्रति क्षात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु कक्ष कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश लिया जायेगा, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय परिसर में या विद्यालय के समीप खेल—कूद के लिए पर्याप्त किला स्थल उपलब्ध होना चाहिए।

17—शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र/छात्राओं एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए पृथक—पृथक शौचालय—मुत्रालय एवं हाथ साफ करने के लिये समुचित व्यवस्था तथा पीने हेतु जीवाणु रहित रवच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था होना अनिवार्य है।

18—कक्ष रत्तर के अनुरूप छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकों खेलकूद का सामान मानविक शैक्षिक चार्ट विज्ञान सामग्री गौणोलिक नक्शों ग्लोब विषय से सम्बन्धित चार्ट सामाच्ज्ञान शिक्षाप्रद पुस्के तथा पत्र पत्रिकाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण आदि की व्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये की जायेगी।


19—प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उ0प्र० मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा०) (अध्यापकों की गती और सेवा की शर्तों) नियमावली—1978 (यथा संशोधित) के अनुसार होगी। विद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबंधतंत्र द्वारा निजी ढोतों से किया जायेगा।

20—जिलोंशिलाधिकों की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्ष अथवा अनुभाग न खोला जायेगा न ही, बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर शाखा विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन माना जायेगा। विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृति हेतु कोई भी दावा मान्य न होगा।

21—विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना ही मासिक शुल्क लिया जायेगा। जो स्टाफ के वेतन अनुरक्षण व इससे सम्बन्धित अन्य व्यय के प्रयाप्त हो। वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई भी वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी तथा समायोपरान्त शुल्क में की गयी वृद्धि किसी भी दशा में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोइ भी शुल्क विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

22—शासनादेश संख्या—89/अडसठ—3—2018—2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 शासनादेश संख्या—196/अडसठ—3—2020—2041/2018 दिनांक 29 जून, 2020, शासनादेश संख्या—540/अडसठ—3—2020—2041/2018 दिनांक 02.07.2020 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय


बुद्ध प्रिय सिंह
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर—खीरी

पृ०सं० व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निर्माकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1—शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र० लखनऊ।

2—जिलाधिकारी, लखीमपुर—खीरी।

3—सचिव, उ0प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

4—अपर शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र० प्रयागराज।

5—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बष्ठ मण्डल, लखनऊ।

6—जिला समाज कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी लखीमपुर—खीरी।

7—खण्ड शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर—खीरी।


Balli Singh
Manager
Akal Academy Santgarh
Bhira (Kheri)


Headmaster
B.B.C.
29.06.2019
Akal Academy Santgarh